राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस–1/17 **दिनांक 03.04.2020**

<u>आदेश सं. 122–सी</u>

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश सं. 121 दिनांक 25.03.2020, सं.122 दिनांक 26.03.2020, सं.122–ए, दिनांक 29.03.2020 और 122–बी, दिनांक 30.03.2020, और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के अनुपालन के क्रम में राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों के लिए कड़े अनुपालन के निर्देश के साथ उपर्युक्त आदेशों को अनुलग्नक के रूप में दिशा–निर्देशों का तीसरा परिशिष्ट जारी किया जाता है, यह आदेश दिल्ली के सभी हिस्सों में 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा.

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रेषित

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के विभागाध्यक्ष.

प्रतिलिपि

1. राज्य कार्यकारी समिति, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के सभी सदस्य.

Scanned with CamScanner

विषय : दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश सं. 121, दिनांक 25.03.2020 के तीसरे परिशिष्ट में संलगन किए गए दिशा–निर्देश।

क. खंड 6 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (जी) को जोड़े जाना

(जी) भारत में विदेशी नागरिकों के लिए ट्रांजिट की व्यवस्था।

(संलग्न शक्तियों की अनुसूची के अनुसार)

ख. खंड 12 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (ए) को जोड़े जाना

(ए) दिनांक 15.2.2020 के बाद भारत में आए विदेशी नागरिकों की क्वारंटीन अवधि समाप्त होने और उनका कोविड–19 परीक्षण निगेटिव आने के बाद क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों को रिलीज किए जाना.

(संलग्न शक्तियों की अनुसूची के अनुसार)

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के भेजे जाने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

खंड 6 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (जी)

लॉकडाउन के उपायों के चलते गृह मंत्रालय, भारत सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अनेक विदेशी नागरिक देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए हैं. कुछ विदेशी राष्ट्रों ने भारत सरकार से अपने नागरिकों को वापस भेजे जाने का आग्रह किया है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि भारत से उनके नागरिकों को वापस भेजे जाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मामले दर मामले के आधार पर जांच की जाएगी. ऐसे मामलों में जहां विदेश मंत्रालय द्वारा अनुरोधों पर विचार किया जाता है, वहां निम्नलिखित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगाः

(i). संबंधित विदेशी सरकार के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की जाएगी।

(ii). मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार प्रस्थान से पूर्व, कोविड–19 के लक्षणों के संबंध में विदेशी नागरिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी. केवल उन विदेशी नागरिकों को देश से जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोविड–19 के कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, जिन व्यक्तियों में इस बीमारी के लक्षण प्रकट होंगे, उनका मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।

(iii). विदेशी नागरिकों के ठहराव स्थल से वायुयान में चढ़ने के स्थान तक ले जाने की व्यवस्था स्थानीय एम्बेसी/संबंधित विदेशी सरकार के दूतावास द्वारा की जाएगी।

(iv). विदेशी नागरिकों को ले जाने हेतु निर्धारित वाहनों के लिए ट्रांजिट पास उन संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जारी किये जायेंगे, जहां विदेशी नागरिक रह रहे हों।

(v). जैसा उपर्युक्त उल्लेख है, ट्रांजिट पास का ट्रांजिट रूट वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्राधिकरणों द्वारा सम्मान/अनुमत किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

क्वारंटीन अवधि की समाप्ति के बाद और कोविड–19 टैस्ट निगेटिव आने के बाद, क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों को रिलीज किए जाने की मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया

खंड 12 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (ए)

कोविड–19 के फैलने को रोके जाने के नजरिये से तथा सावधानी बरतने के एक उपाय के रूप में, दिनांक 15.02.2020 के बाद विदेशी स्थलों से लौटने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा व्यवस्थित स्थलों पर क्वारंटीन किया गया था। इन व्यक्तियों के संबंध में, विशिष्ट अनिवार्य क्वारंटीन अवधि की समाप्ति के बाद निम्नलिखित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा:

(i). मानक हैल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड–19 के परीक्षण में निगेटिव पाए गए व्यक्तियों को उक्त क्वारंटीन सुविधाओं से रिलीज कर दिया जाएगा। तथापि, यह उस समूह के लिए लागू नहीं होगा, जहां एक भी व्यक्ति कोविड–19 परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया हो।

(ii). इन व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने घरों को लौटेंगे, अथवा अपने परिवारजनों/सम्बंधियों/मित्रों के पास जाएंगे अथवा अन्य ठहराव स्थलों जैसे होटल इत्यादि में लौटेंगे, जिसके लिए वाहन व्यवस्था वे स्वयं करेंगे।

(iii). ऐसे व्यक्तियों द्वारा वाहनों की आवाजाही के लिए उपयोग के जाने वाले ट्रांजिट पास संबंधित जिलों के उन जिलाधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे, जहां वे क्वारंटीन किए गए हों।

(iv). ट्रांजिट पास निर्धारित मार्गों के लिए तथा निर्धारित अवधि के लिए जारी किए जाएंगे और वे व्यक्ति उसका पालन करेंगे।

(v). उपर्युक्त अनुसार जारी, ट्रांजिट पासों का उस मार्ग में पड़ने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मान्य/अनुमत किया जाएगा।

(vi). ऐसे व्यक्तियों के अपने गंतव्यों पर लौटने के बाद, सावधानी के तौर पर उन्हें इस संबंध में मानक प्रोटोकॉल के अनुसार और 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा।

(vii). क्वारंटीन से रिलीज किए गए अपने गंतव्यों को लौटे व्यक्तियों के विवरण संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए साझा किए जाएंगे।

Scanned with CamScanner